**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2667**

**दिनांक 16 दिसम्बर 2025 / 25 अग्रहारण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए**

**पश्चिम बंगाल के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ निधि**

**†2667. श्री राजू बिष्टः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) वर्ष 2019 से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल धनराशि का जिलावार ब्यौरा क्या है;**

**(ख) उक्त अवधि के दौरान उत्तर बंगाल के जिलों में आपदा प्रतिक्रिया और तैयारियों के लिए विशेष रुप से आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;**

**(ग) क्या सरकार को दार्जिलिंग या सिलीगुड़ी में एक स्थायी एनडीआरएफ बेस या क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;**

**(घ) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है और कार्यान्वयन की अनुमानित लागत और समय-सीमा क्या है;**

**(ङ) क्या उत्तर बंगाल के लिए एनडीआरएफ या एसडीआरएफ के अंतर्गत धनराशि जारी करने या उपोग करने में कोई देरी या कमी हुई है और यदि हाँ, इसके क्या कारण हैं; और**

**(च) सरकार द्वारा क्षेत्र में आपदा प्रतिक्रिया अवसंरचना के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री नित्यानंद राय)**

(क) से (च): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के अनुसार, आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकार के प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिए, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार राज्य

**लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2667, दिनांक 16.12.2025**

आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) की मौजूदा योजना से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एसडीआरएफ के अंतर्गत जिलावार / क्षेत्र-वार निधि का कोई आवंटन नहीं किया जाता है । हालांकि, राज्य सरकारें, अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, उनके पास पहले से उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से, संबंधित जिला प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से, जमीनी स्थिति की गंभीरता के अनुसार भारत सरकार के अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, प्रभावित लोगों को राहत सहायता प्रदान करती हैं। संपूर्ण प्रक्रिया के लिए एनडीआरएफ/ एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में परिकल्पित स्थापित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है, जो मंत्रालय की वेबसाइट www.ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध है। एसडीआरएफ का केंद्रीय हिस्सा दो समान किस्तों में जारी किया जाता है,पहली जून में और दूसरी दिसंबर में,बशर्ते दिशानिर्देशों की शर्तें पूरी हों, जिनमें पहले जारी की गई धनराशि जमा करने और व्यय विवरण से संबंधित जानकारी शामिल है। प्राकृतिक आपदाओं के मद्दे नजर एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ से प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में होती है, न कि दावा किए गए नुकसान की भरपाई के लिए।

राज्य के प्रयासों को पूरा करने के लिए, केंद्र सरकार ने 2019-20 से 2025-26 के दौरान अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से आवश्यक राहत के प्रबंधन के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को, राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ)/ राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि(एनडीआरएफ) से निम्नलिखित राशि जारी की है:

(करोड़ रुपये में)

| वर्ष | एसडीआरएफ के अंतर्गत आवंटन | एसडीआरएफ से जारी केंद्र का हिस्सा | एनडीआरएफ से जारी |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 628.00 | 650.40 | 958.33 |
| 2020-21 | 1078.40 | 808.80 | 2250.28 |
| 2021-22 | 1078.40 | 808.80 | 350.13 |
| 2022-23 | 1132.80 | 849.60 | 0.00 |
| 2023-24 | 1189.60 | 892.00 | 0.00 |
| 2024-25 # | 1248.00 | 936.00 | 0.00 |
| 2025-26 (09.12.2025 तक) | 1311.20 | 491.60 | 0.00 |

# इसके अलावा, एनडीआरएफ से 84.77 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार को अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए जारी की गई है।

**लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2667, दिनांक 16.12.2025**

एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ की योजना के अनुसार,राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि एसडीआरएफ (एनडीआरएफ से केंद्रीय सहायता सहित) से प्राप्त धनराशि का उपयोग वास्तव में उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाए जिनके लिए इसे जारी किया गया था, तथा इसका उपयोग केवल निर्दिष्ट व्यय मदों पर और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार किया जाए। राज्य महालेखाकार को सहायता की मदों और मानदंडों के अनुसार व्यय की निगरानी करनी होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक,एसडीआरएफ योजना के अनुसार,हर साल एसडीआरएफ का लेखा-परीक्षण करते हैं।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) बटालियन बेस की स्थापना के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि एनडीआरएफ का सिलीगुड़ी में एक स्थायी क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र (आरआरसी) स्थापित है, जहां परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार दार्जिलिंग सहित उत्तरी बंगाल में त्वरित तैनाती के लिए पर्याप्त टीमें स्थायी रूप से तैनात हैं।

*****